संख्या- 87/2021/1751/छप्पन-2021-81/2013

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 04 अक्टूबर, 2021

विषय: क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अन्तर्गत चयनित प्रयागराज हवाई अड्डे पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 269/आर0सी0एस0-2021-एस-3/2019 दिनांक 01 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अन्तर्गत चयनित प्रयागराज हवाईअड्डे से संचालित उड़ानों के लिए प्रदान की गयी सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं तथा उपकरणों के किराए हेतु निम्नलिखित विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 5,19,997/-(रुपए पाँच लाख उन्नीस हजार नौ सौ सतानवे मात्र) के बिल का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किए जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है:-

सन्दर्भ	अवधि	धनराशि (रूपए)
AAI/NR/RCS/2021-22/3 दिनांक 05-07-2021	01 जून, 2021 से 30 जून, 2021 तक	5,19,997

2- भारत सरकार की क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के प्रस्तर- 4.2.2(c) के प्राविधान के अनुसार आर0सी0एस0 हवाईअड्डों पर सुरक्षा तथा अग्निशमन सम्बन्धी सेवाएं राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी हैं।

अत: श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में एम0ओ0यू0 के प्राविधानों के अनुरूप क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना के अन्तर्गत चयनित प्रयागराज हवाईअड्डे पर प्रदान की गयी सुरक्षा तथा अग्निशमन सेवाओं हेतु उक्त विवरण अनुसार बकाया धनराशि रु0 5,19,997/- (रुपए पाँच लाख उन्नीस हजार नौ सौ सतानवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रु0 5,19,997/- (रुपए पाँच लाख उन्नीस हजार नौ सौ सतानवे मात्र) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।
III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा ''लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की मानक मद 42 अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (वित्त-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

पृ0सं0: 87/2021/1751(1)/छप्पन-2021-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10 ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5. निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।